

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 30-12-2020

संख्या-7/स्था0-04-12/2019सा0प्र0.12726/भारत-संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात् बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2020

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) नियम-3क(i)(क) के बाद निम्नरूपेण जोड़े जाने वाले (1) एवं (2) को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14837 दिनांक 30.10.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचित रिक्तियों की तिथि 30.10.2019 से प्रभावी मानी जायेगी।
2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम-3क(i)(क) के बाद निम्नरूपेण जोड़ा जाएगा:-
 - (1) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पदों की नियुक्तियों में, जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली हो, 10 प्रतिशत रिक्तियाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी। परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
 - (2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी यथा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में परिभाषित की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-12/2019सा0प्र0.12726/पटना-15, दिनांक 30-12-2020
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-12/2019सा0प्र0.12726/पटना-15, दिनांक 30-12-2020
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-03 दिनांक 29.12.2020 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department
Notification

Patna-15, Date 30-12-2020

No-7/Astha.-04-12/2019GAD 12726 / In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, after consultation with High Court of Judicature at Patna and the Bihar Public Service Commission, is pleased to make the following amendments in Bihar Civil Service (Judicial Branch) Recruitment Rules, 1955:

The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2020

1. **Short title, extent and commencement:-**

- (1) These rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Amendment Rules, 2020.
- (2) It shall be extended to the whole of the State of Bihar.
- (3) After Rule 3A (i) (a) thus added (1) and (2) in following manner shall be deemed to have come into force with effect from the date 30.10.2019 when the vacancies were requisitioned to the Bihar Public Service Commission vide General Administration Department, Government of Bihar, letter no. 14837 dated 30.10.2019.

2. **In the Bihar Civil Service (Judicial Branch) Recruitment Rules, 1955, after Rule 3A(i)(a), (1) and (2) shall be added in the following manner:-**

- (1) Ten percent of vacancies will be reserved for Economically Weaker Sections in Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) which are to be filled up by direct recruitment. The aforesaid reservation will be in addition to the provisions of reservation for other categories as have been provided for in other prevailing Rules in the State of Bihar. Provided the candidates out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Rule.
- (2) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted against the open merit category as defined under The Bihar Reservation in vacancies in post and in services and in Admission in the Education Institutions (For Economically Weaker Section) Act, 2019.

By order of the Governor of Bihar,

(Ghufran Ahmad)

Deputy Secretary to the Govt.

Memo no.- 7/Astha.-04-12/2019GAD 12726 /Patna-15, dated 30-12-2020

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

Deputy Secretary to the Govt.

Memo no.- 7/Astha.-04-12/2019GAD 12726 /Patna-15, dated 30-12-2020

Copy Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna/ Registrar General, High Court, Patna/Principal Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.-03 dated 29.12.2020/Secretary, Law Department, Bihar/B.P.S.C., Patna/All District & Session Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

Deputy Secretary to the Govt.